कार्यालय आर्बीट्रेटर (संभागीय आयुक्त, जयपुर)

प्रार्थना पत्र सख्याः–2/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00280)

1. हरिनारायण जांगिड़ पुत्र श्री गजानन्द जांगिड़,
2. रामकिशोर पुत्र श्री गजानन्द जांगिड़,
3. सत्यनारायण पुत्र श्री गजानन्द जांगिड़ समस्त जातियान जांगिड़ निवासी जस्सी का बास, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राजास्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
2. प्रमुख परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सी– 16, खुशी विहार पत्राकार कॉलोनी, मानसरोवर जयपुर जरिये मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. **श्री अनुप अग्रवाल, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से**
2. **श्री मनीष कुमार शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 21.12.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विशेष रेल परियोजना वैस्टन डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के स्थायी निमार्ण हेतु ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीम का थाना की भूमि खसरा नम्बर 1387/1 रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1387/2 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1387/3 रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 20(ए) दिनांक 10.02.2009 को जारी की गई थी। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाकर अंतिम अवार्ड दिनांक 13.09.2010 को जारी किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि के खातेदारान का आवाप्तिधीन भूमि की मुआवजा राशि का आंशिक भुगतान किया जा चुका है परन्तु अवाप्त की गई भूमि पर ऐलोवेरा के पौधे व बून्द बून्द सिंचाई संयत्र के सम्बन्ध में मुआवजा राशि को अवार्ड में सम्मलित नही किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियॉ दर्ज की गई इसके सम्बन्ध में उचित मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया गया इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण को ऐलोवेरा के पौधे व बून्द–बून्द सिंचाई संयन्त्र के सम्बन्ध में उचित मुआवजा नही दिलवाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आवाप्तधीन उक्त भूमि पर ऐलोवेरा की फसल एवं बून्द–बून्द सिंचाई संयंत्र बाबत सहायक निदेशक उद्यान सीकर को पत्रांक 1594 दिनांक 10.09.2010 लिखा गया तथा सहायक निदेशक द्वारा पत्रांक 2 दिनांक 02.04.2011 को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पत्रांक 1397/अवाप्ति/11 दिनांक 12.05.2011 एवं 1398/अवाप्ति/11 दिनांक 12.05.2011 को खातेदारान को ऐलोवेरा पौधो का तथा बून्द बून्द सिंचाई संयंत्र का मुआवजा दिये जाने के आदेश जारी किये गये परन्तु विपक्षी संख्या 2 द्वारा एतराज करने पर पुनः पत्रांक 19/अवाप्ति/2016 दिनांक 06.05.2016 को भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सहायक निदेशक उद्यान सीकर को ऐलोवेरा की फसल व बून्द बून्द सिंचाई संयंत्र का भुगतान करने के लिऐ मूल्यांकन करने के सम्बन्ध मे लिखा जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 को प्राप्त हुई उसके उपरान्त उद्यान निदेशालय के पत्रांक 1333–36 दिनांक 19.07.2017 की अनुपालना में एक कमेटी गठित की गई, उक्त कमेटी ने भी पूर्व में कृषि पर्यवेक्षक उद्यान एवं सहायक निदेशक उद्यान सीकर द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा राशि दिये जाने की अनुशंषा की गई इसके उपरान्त भी विपक्षी संख्या 2 परियोजना प्रबन्ध के द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.01.2018 में यह अंकित करते हुये कि ऐलोवेरा का पौधा लगाने के बाद व सात से आठ वर्ष तक आमदनी देता है अतः अब प्रार्थीगण उन पौधों का मुअवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है इस आधार पर प्रार्थीगण को मुआवजा राशि देने से मना कर दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त आराजी की खसरा गिरदावरी मे ऐलोवेरा की काश्त दर्ज है जो अवाप्ति से दो साल पूर्व की है तथा कृषि पर्यवेक्षक उद्यान नीम का थाना की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2010 में विवादित भूमि पर ऐलोवेरा की फसल तथा बून्द–बून्द सिंचाई सयंत्र वर्ष 2008 में लगा हुआ था। उक्त समस्त तथ्यों को देखते हुये भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.06.2018 के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.05.2011 के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जावें व साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि मुआवजा राशि का भुगतान ना होने की स्थिति में यदि काश्तकार न्यायालय की शरण में जाता है तो यह जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 2 की रहेगी। उक्त आदेश की प्रति प्रार्थीगण को आरटीआई के प्रार्थना पत्र के संदर्भ प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को यह पता चला कि उक्त आदेश में विलम्ब से मुआवजा राशि का भुगतान करवाये जाने के आदेश देने पर देय राशि पर ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से दिये जाने के आदेश पारित होने से रहे गये जो कि प्रार्थीगण नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.06.2018 में ना तो ब्याज राशि के बारे में कोई जिक्र किया जबकि मुआवजा राशि के भुगतान में देरी विपक्षीगण की लापरवाही व

...ायीय आयुक्त
...जयपुर

P.T.O.

बार–बार जॉच करने के नाम पर जानबूझकर देरी की गई जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई दोष नही है इसके अतिरिक्त भी रेल (संशोधन) अध्यादेश 2008 के प्रावधानों के अनुसार भी व रेल मंत्रालय द्वारा जारी मुआवजा नीति के अनुसर भी अवाप्ति की जा रही भूमि व उसमें लगी फसल व संयंत्र का बाजार भाव से मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया है। अतः भूमि आवप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.2018 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.06.2018 मे ब्याज राशि के बारे में आदेश दिया जाना अति आवश्यक है जो प्रथम दृष्टया गलत होने से निर्णय दिनांक 21.06.2018 में सुधार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 21.06.2018 मे सुधार किया जाकर प्रार्थीगण को देय मुआवजा राशि अवार्ड दिनांक 12.05.2011 से भुगतान दिये जाने तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पत्रांक 348 दिनांक 25.11.2021 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी मूल आदेश दिनांक 12.05.2011 के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा ब्याज राशि का निर्धारण श्रीमान् के स्तर पर ही होने वाले निर्णय में होना उचित होगा एवं उसी अनुरूप सम्पूर्ण राशि का भुवातन करवाया जाना उचित होगा।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से श्रीमान् के समक्ष नही आये है। इस समबन्ध मे यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि भूमि अवाप्ति की पूर्ण प्रक्रिया की जाकर अंतिम अवार्ड दिनांक 13.09.2010 को जारी किया गया था तथा उसके पश्चात् प्रार्थीगण ने अवार्ड में निर्धारित मुआवजा राशि मिन अप्रार्थीगण से पूर्व में ही जरिये चैक पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया है। उन्होने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि प्रार्थीगण ने निर्धारित रकम स्वीकार कर चैक प्राप्त कर लिया है एवं निर्धारित रकम को स्वीकार करने के कारण अब कोई आर्बीट्रेशन डिस्पूट शेष नही रहता है। इस कारण प्रार्थीगण का अब यह प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने काबिले है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आरबिट्रेशन प्रार्थना पत्र विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.06.2018 को खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को भुमि का मुआवजा दिया गया है किन्तु भूमि पर प्रार्थीगण की ऐलावेरा फसल एवं बून्द–बून्द सिंचाई संयत्र की राशि का भुगतान नही किया गया है जबकि अवाप्ति की जा रही भूमि पर खडी फसल व संयत्र इत्यादि का मुआवजा भी देने का प्रावधान कानून मे निहित है जिसके सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 12.05.2011 को प्रार्थीगण की अवाप्तिधीन

भूमि पर ऐलोवेरा की फसल व बून्द–बून्द सिंचाई संयत्र का मुआवजा निर्धारण किया गया है किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अनावश्यक ही बार–बार जॉच इत्यादि करवाकर मुआवजा राशि के भुगतान में विलम्ब किया जाता रहा है जो कानूनन उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना जिला सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार ब्याज राशि सहित मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार अविलम्ब खातेदारान/काश्तकारान को कराया जावें।

(दिनेश कुमार यादव)
आरबीट्रेटर
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।